

FORM NO-III

फर्द अहकाम
(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रूपनगढ, जिला-अजमेर

नोरती देवी

बनाम




ओमप्रकाश

नम्बर/...वर्ष:-2024

मुकदमा- धारा 88,53,188 राज0 कारत0 अधि0

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.03.2024	<p>यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश खोरवाल ने अन्तर्गत धारा 88,53,188 राज0 कस्त0 अधि0 1955 के तहत पेश किया। वाद-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 02.05.2024 को पेश हो।</p> <p>2-5-24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप-तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 6-6-24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर) </p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर) </p>	
6-6-24	<p>पत्रावली पेश हुआ हुआ वकील वादी अनुपस्थित। बार-बार आवाज दिलवाएँ गयीं बार-बार आवाज दिलवाने के बावजूद वादी व वकील वादी में से कोई उपस्थित नहीं। अतः अदम हाजरी। अदम पैरवी में वादी का वाद खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर) </p>	